

भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या PP/VK/RM/1026/2014

7. परियोजना/स्कीम का स्थान इन्हें दर्शाता है। कलाली व्याप्र और चारों ओर संलग्न
 i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र अर्थात् के पास दो दृष्टिकोणों से यह क्षेत्र एवं योजना की विवरण दिए जाते हैं।
 ii) जिला → उत्तराखण्ड
 iii) वन प्रभाग → राजनायिकन प्रभाग, राजनायिकन
 iv) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन
 भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) → 0.000000 है। उत्तराखण्ड का भूमि,
 v) वन की कानूनी स्थिति → अरुणाचल का,
 vi) हरियाली का घनत्व 0.15
 vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिवि
 श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की
 जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं को संलग्न है।
 सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर
 परिगणना भी संलग्न किए जाए।
 viii) भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन
 शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। → 0.02।
 ix) बनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की
 वन की सीमा से अनुमानित दूरी → 0km
 x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य
 जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर → नहीं।
 आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और
 प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित
 की जाए।)
 xi) क्या क्षेत्र में बनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ
 / संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं → नहीं।
 यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
 xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/
 रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक → नहीं। संलग्न है।
 क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा
 सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ
 यदि अपेक्षित हो, या
- 8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित
 वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य → लौं/ संलग्न है।
 और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों
 के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया
 है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी → चढ़ी।
 अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का
 व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह
 रहे हैं।

- iii— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- ~~संलग्न है। नेतृत्व के द्वारा इसमें 1.00 हजार करोड़ रुपये वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।~~
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। \rightarrow प्रतिकलन संलग्न है,
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। $4251.00 \text{ कर्जी कि.मी.}$
 - ii. जिला का वन क्षेत्र। $2591.43 \text{ कर्जी कि.मी.}$
 - iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर 149.49 है
 - v. $200.2-03$ तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर 149.59 है
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर X
- 13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। $\underline{\text{सुनिध है संस्कृति का जारी है}}$

दिनांक 12/2/2015
स्वाक्षर रामनगर

हस्ताक्षर
नाम (कृष्णा नस्ती)
सरकारी सेवा
समन्वय वन विभाग, रामनगर